न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :—191 / 2024

प्रार्थी:—

मृतक— अमरा उर्फ दीपाराम (लाऔलाद फौत) कुदरती वली (भाई) संरक्षक बाबूराम पुत्र रावा जाति मेघवाल निवासी ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

विप्रार्थीगण:—

1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी जिला बालोतरा
2. झमुदेवी पत्नी पुनमाराम जाति मेघवाल
3. सुगीया पुत्री पुनमाराम जाति मेघवाल
4. रमेश कुमार पुत्र भेराराम जाति मेघवाल
5. लक्ष्मणराम पुत्र भेराराम जाति मेघवाल
6. लीलादेवी पत्नी भेराराम जाति मेघवाल

निवासीयान ठाकरखेडा तहसील समदडी जिला बालोतरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा.भू.रा.अधिनियम हेतु दुरूस्ती</u>

उपस्थित :—

1. **श्री लादाराम परमार अधिवक्ता प्रार्थी**
2. **श्री दिनेश कच्छवाह अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 2 से 4 व 6**
3. **विप्रार्थी संख्या 5 एकपक्षीय**

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 19.11.2025

प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन पत्र रा.भू.अ. की धारा 136 के तहत पेश किया गया है, संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा संख्या 768 रकबा 1.6430 व खसरा संख्या 256 रकबा 0.5989 हैक्टेयर भूमि ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी में अवस्थित है उक्त भूमि प्रार्थी के भाई ''अमरा पुत्र रावा एवं ''अमराराम पुत्र राऊराम '' के नाम बतौर संयुक्त खातेदार के तौर पर दर्ज है प्रार्थी का भाई लाऔलाद फौत हो गया है [illegible] के भाई का समस्त सरकारी व गैर सरकारी दस्तावेजात उनका [illegible] राम'' दर्ज है किन्तु विवादित भूमि के राजस्व रेकर्ड में [illegible] का नाम ''अमरा पुत्र रावा एवं ''अमराराम पुत्र राऊराम ''लिख दिया। इस प्रकार प्रार्थी के भाई का अशुद्ध नाम अंकित होने से प्रार्थी के भाई के लाऔलाद फौतगी म्यूटेशन एवं सरकारी दस्तावेजों एवं राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टि में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थी के भाई का नाम राजस्व रिकार्ड में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:06 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर जरिये नोटिस विप्रार्थीगण की तलबी की गई। तहसीलदार समदड़ी के पत्र क्रमांक भू.अ./2025/03 दिनांक 16.10.2025 द्वारा प्रार्थी के भाई के वास्तविक नाम के सम्बन्ध में तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की गई। प्रार्थी ने अपने आवेदन पत्र के समर्थन में हरकूदेवी पत्नी रावाराम के बयान कलमबद करवाये। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी ।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थी के भाई का वास्तविक नाम ''दीपाराम पुत्र रावा राम '' है, किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा विवादित भूमि खसरा संख्या 768 रकबा 1.6430 व खसरा संख्या 256 रकबा 0.5989 हैक्टेयर भूमि ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी में प्रार्थी के भाई का नाम ''अमराराम पुत्र रावा व अमराराम पुत्र राऊराम'' त्रुटिवश लिख इस प्रकार भाई का अशुद्ध नाम अंकित होने से लाऔलाद फौतगी म्यूटेशन एवं सरकारी दस्तावेजों एवं राजस्व रेकर्ड की प्रविष्टि में व्यवधान उत्पन्न हो रहा है अतः प्रार्थी अपने भाई का नाम राजस्व रिकार्ड में शुद्ध व सही नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य एवं तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रार्थी के भाई का परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, हरकूदेवी पत्नी रावाराम का शपथ पत्र आदि दस्तावेजात में प्रार्थी के भाई का नाम ''दीपाराम पुत्र रावाराम'' दर्ज है,किन्तु विवादित भूमियों में प्रार्थी के भाई का नाम ''अमराराम पुत्र रावा व अमराराम पुत्र राऊराम ''दर्ज करने से राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध प्रविष्टि अंकित हो गयी। तहसीलदार समदडी द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से भी प्रार्थी के भाई का वास्तविक नाम ''दीपाराम पुत्र रावाराम ''होने की पुष्टि होती है। ऐसी सूरत में प्रार्थी के भाई का नाम राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर खसरा संख्या 768 रकबा 1.6430 व खसरा संख्या 256 रकबा 0.5989 हैक्टेयर भूमि ग्राम ठाकरखेडा तहसील समदडी के राजस्व रिकार्ड में दर्ज प्रार्थी के भाई का नाम ''अमराराम पुत्र रावा व अमराराम पुत्र राऊराम ''के स्थान पर ''दीपाराम उर्फ अमराराम पुत्र रावा उर्फ राऊराम'' दुरुस्त करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार समदडी को तदनुसार दुरुस्ती सुनिश्चित किये जाने हेतु आदेशित किया जाता है।

आदेश आज दिनांक 19.11.2025 को खुले इजलास में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2026.02.14 18:17:06 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)